[2019] 15 एस. सी. आर 1

एबीसीडी

विरूद्ध

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 191/ 2018)

10 दिसंबर, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा,न्यायाधीशगण

अन्वेषण – अन्वेषण को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए – 2018 की एफ. आई. आर. No.58 याची ने प्रत्यर्थी क्रमांक 7 के विरुध दर्ज करवाई गई थी। पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 7 ने अपनी स्तिथि का अनुचित लाभ लेकर उसके साथ समागम किया । याची ने परमादेश रिट इस आशय की संस्थित की है कि उक्त एफ. आई. आर से सम्बंधित अन्वेषण दिल्ली पुलिस से किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया जाये

अवधारित किया गया – 2018 की एफ. आई. आर. No.58 के अपराध का अन्वेषण एक विशेष अन्वेषण टीम द्वारा किया गया तथा आरोप पत्र फाइल किया गया – यह आशंका व्यक्त की गई है कि प्रतिवादी संख्या 7 के मोबाइल फोन को जप्त नहीं किया गया था और यह सुनिश्चित किया गया कि उक्त मोबाइलों को जांच एजेंसी के अभिरक्षा में ले लिया जाए–उन मोबाइलों से डेटा भी बरामद करने की मांग की गई थी और प्रतिवादी संख्या 7 ने यह सुनिश्चित करने में सहयोग किया कि डेटा को पुनर्प्राप्त किया जा सके

हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि पूरा डेटा पुनर्प्राप्त नहीं किया गया था–दोनों मोबाइल फोन भी फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए थे–याचिकाकर्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि कुछ तस्वीरें प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा ली गई हो सकती हैं, जो डेटा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है– हालाँकि, आईक्लाउड के उद्धरण जांच एजेंसी के पास पूरी तरह से उपलब्ध थे

यह तर्क कि अन्वेषण अधिकारी का मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हुआ था महत्वपूर्ण नहीं है याचिकाकर्ता और अन्वेषणअधिकारी के बीच किसी भी बातचीत के विवरण के रूप में सामग्री, याचिकाकर्ता का स्वयं का फोन मोबाइल के माध्यम से भी साबित की जा सकती है।

–इस प्रकार, ऐसा कुछ भी ठोस नहीं था जो या तो यह दर्शित करे कि अन्वेषण अच्छी तरह से निर्देशित नहीं थी या किसी विशेष दिशा में देखने में विफल रहा ठ –इसलिए, आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है–याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी भी उसके पास है, तो उसे उसके द्वारा रखा जा सकता है। उसे विशेष जांच दल को सौंपा जाए–यह

विशेष जांच दल पर छोड़ दिया जाता है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उस हिस्से को पूरक आरोप पत्र में शामिल करने की आवश्यकता है जिसे दाखिल करने पर विचार किया जाना है

अन्वेषण –अन्वेषण का केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित – प्रतिवादी नं. 7 की मां द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य प्रतिवादी क्रमांक 7 के परिवार पर १५ लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर उन्हें प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ बलात्कार और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों के साथ मामले दर्ज करने की धमकी दी गई। – याचिकाकर्ता द्वारा दायर मैंडमस की रिट में निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रतिवादी नं. 7 द्वारा की गई प्राथमिकी का अन्वेषण एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित किया जाए; साथ ही अन्वेषण एजेंसी तुरंत मोबाइल नंबरों के कॉल विवरण रिकॉर्ड एकत्र करे और अभियुक्त के दोनों मोबाइल को जब्त कर ले साथ ही होटल की सीसी टीवी फुटेज प्राप्त करे जहा अभियुक्त उसे बलात्संग का अपराध कारित करने के लिए ले गया था

याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा दी गई –

अवधारित किआ गया – प्रतिवादी नं. 7 की मां द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा दी गई एवं संहिता की धारा 482 संहिता भी उच्च न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अदालत की प्रक्रियाओं का आह्वान किया और उसे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई। किसी अन्य एजेंसी को अन्वेषण अंतरण का कोई कारण नहीं है

अदालत की अवमाननाः एफ. आई. आर. सं. 314 में, साथ ही उसके बाद दिए गए आवेदन में, याचिकाकर्ता द्वारा आक्षेप किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 7 ने उस पर हमले की व्यवस्था की थी और वह उस घटना के लिए जिम्मेदार था जिसमें उसे एक कार ने टक्कर मारी थी–हालांकि, सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उसे कार ने नहीं बल्कि एक थेला (रिक्शा) ने टक्कर मारी थी, जिसका प्रथम दृष्टया मतलब था कि अदालत के समक्ष उसके शपथ वाले बयान में आरोप सच्चे नहीं थे–शपथ पर गलत बयान देना धारा181 आई. पी. सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। साथ ही लोक सेवक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से गलत जानकारी देना धारा182 आई. पी. सी के तहत दंडनीय है। इस अपराधो का संज्ञान संहिता की धारा 195 (1) (ए) (1)के तहत किसी भी न्यायालय द्वारा लिखित में उचित परिवाद पर ही लिया जा सकता है जैसा कि उक्त धारा में कहा गया है –

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है

इस न्यायालय की शक्ति का स्वतः संज्ञानात्मक प्रयोग "उसके खिलाफ अवमानना में कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जाए और धाराओं के तहत उचित निर्देश क्यों पारित नहीं किया जाए। संहिता की धारा195 (1) (क) "–रजिस्ट्री को दंड संहिता, 1860– की धारा 181 , 182 मामले को स्वतः संज्ञान कार्यवाही के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया–

– दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – s.195 (1) (a) (i)।

पुष्पादेवी एम. जटिया बनाम एम. एल. वधावन आदि (1987) 3 एस. सी. सी. 367 [1987] 3 एस. सी. आर. 46; चंद्र शशि बनाम। अनिल

कुमार वर्मा (1995) 1 एससीसी 421: [1994] 5 पूरक। एससीआर 465; केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

और अन्य (2008) 12 एससीसी 481 [2008] 10 एससीआर 454; धनंजय शर्मा बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य

(1995) 3 एस. सी. सी. 757 [1995] 3 एस. सी. आर. 964

मामला कानून संदर्भ

[1987] 3 एससीआर 46– रिलाय किया गया पैरा 15

[1994] 5 पूरक। एससीआर 46 –रिलाय किया गया पैरा 16

[2008] 10 एससीआर 454 – रिलाय किया गया पैरा 16

[1995] 3 एससीआर 964 – रिलाय किया गया पैरा 16

आपराधिक मूल छेत्राधिकार रिट याचिका

(आपराधिक) सं. 191/ 2018

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

अमन लेखी, एएसजी, सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुशील कुमार

दुबे, सुश्री दिव्या नायर, अनुज अग्रवाल, पुनीत पाठक, अवध बिहारी कौशिक, मोहम्मद। अखिल, सुश्री सुहासिनी सेन (बी. वी. बलराम दास के लिए), सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री प्रस्तुत दलवी, अमित वर्मा, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल, नवीन कुमार, मैसर्स। पी. एल. आर. चैम्बर्स और कं., मनोज वी. जॉर्ज, मो. इरशाद हनीफ, सुश्री शिल्पा लिजा जॉर्ज, रिज़वान अहमद, मुजाहिद अहमद, सुश्री आकृति जय, के. पनमेई, शिफाज़ आर. ढीन, रंजीत वी. फिलिप, सुश्री भविका, हेमंत शर्मा, सुश्री बाबिला के. के., ए. बी. कौशिक, अवध बिहारी कौशिक, डॉ. मोनिका गुसैन, सुश्री मनप्रीत कौर भल्ला, अधिवक्ता। उपस्थित पक्च्कारो के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित,

1. यह रिट याचिका उपरोक्त याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित निर्देशों को प्राप्त करने के लिए संस्थित की गयी है:

" I. परमादेश की रिट इस सीमा तक कि एफ. आई. आर. No.58/2018 अंतर्गत धारा 376, 328, 506 और 509 आई. पी. सी. 1860 के अन्वेषण को दिल्ली पुलिस से एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया जाए।

II. परमादेश की रिट पश्चिम बंगाल राज्य को अभियुक्त (प्रतिवादी संख्या 7) को निलंबित करने और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने और उसे इस अपराध की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिएगवाह को प्रभावित नहीं करने का निर्देश देने के लिए कि गई।

III. पश्चिम बंगाल के बशीरहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज आई. पी. सी. की धारा 384, 389, 34 के तहत दर्ज एफ. आई. आर. No.256/2018 दिनांक 03.06.2018 से उत्पन्न अन्वेषण को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का आदेश दें और तब तक अन्वेषण पर रोक लगा दें।

IV. अन्वेषण एजेंसी को तुरंत मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सी. डी. आर.) एकत्र करने और आरोपी के दो मोबाइल फोन जब्त करने और लॉबी, रेस्तरां और कमरा संख्या 2603 के 27.01.2018 से 29.01.2018 पर ललित होटल जहा अभियुक्त याचिकाकर्ता को बलात्कार का अपराध करने के लिए ले गया था, के सी. सी. टी. वी. फुटेज को पुनः प्राप्त करने का निर्देश दें।

V. याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को संरक्षण का आदेश दें।

VI. याचिकाकर्ता को न्याय दिलाने के लिए कोई अन्य आदेश या निर्देश जिसे यह न्यायालय उचित और उचित समझ सकता है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन बारहखम्बा रोड, नई दिल्ली में दायर 2018 की प्राथमिकी No.58 में आरोप लगाया गया है:

कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 7 (एक आई. पी. एस. अधिकारी) फेसबुक पर आदान–प्रदान के माध्यम से दोस्त बन गए और एक–दूसरे से मिलने लगे। शादी की बात चल रही थी। प्रतिवादी संख्या 7 दिल्ली आया था और होटल ललित में ठहर रहा था। उत्तरदाता संख्या 7 के साथ पूरा दिन बिताने के बाद,

याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 7 के कमरे में गयी जहा उसे कुछ चोकलेट दी गई जिसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे । उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए उत्तरदाता संख्या 7 शारीरिक रूप से आगे बड़ा और उसके साथ यौन संबंध बनाए। इसके बाद कुछ समय के लिए, परिवारों के बीच अपने रिश्ते को शादी के अगले स्तर तक ले जाने के लिए चर्चा हुई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 7 ने अचानक 10.02.2018 पर

याचिकाकर्ता से कहा कि उनके बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है। यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी संख्या 7 ने उसकी स्थिति का अनुचित लाभ उठाया था और 28.01.2018 पर उसके साथ जबरन संभोग किया था दिनांक 26.05.2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

3. 03.06.2018 के लगभग प्रतिवादी नं. 7 की मां द्वारा प्राथमिकी क्रमांक 256/2018 दर्ज की गयी जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार प्रत्यर्थी संख्या 7 के परिवार पर उन्हें रुपये 15 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 7 के खिलाफ बलात्कार और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों के साथ मामला दर्ज करने की धमकी दी गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि इस तरह के दबाव के आगे झुकते हुए, याचिकाकर्ता के भाई को 04.02.2018 पर 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था और शेष राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाना था। एफ़. आई. आर., इस प्रकार 384 , 389 सपठित धारा 34 आई. पी. सी धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किया गया ।

4. यह उल्लेखनीय है कि कि संहिता की धारा 438 के तहत वर्तमान याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई थी जो संरक्षण अभी भी जारी है और याचिकाकर्ता द्वारा 2018 की उक्त एफ. आई. आर. No.256 को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर नोटिस जारी किया गया है।

5. इन दो प्राथमिकियों की पृष्ठभूमि में ही यह रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 7 पुलिस सेवा से संबंधित, इस बात की आशंका थी कि याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में दिल्ली पुलिस द्वारा अन्वेषण उचित और निष्पक्ष नहीं हो सकता है । याचिकाकर्ता ने मामले के कुछ पहलुओं पर भी जोर दिया, अर्थात्, अन्वेषण एजेंसी ने संहिता की धारा 164 के तहत याचिकाकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग में देरी की थी तथा होटल ललित का कोई सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था। इन परिस्तिथि में प्रार्थना कि गई कि दिल्ली पुलिस से अन्वेषण स्वतंत्र पुलिस एजेंसी को अंतरित कर दिया जाये । प्रतिवादी संख्या 7 की माँ द्वारा की गई प्राथमिकी में याचिकाकर्ता और उसके परिवार को शामिल करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया गया था और यह प्रार्थना की गई थी कि उक्त एफ. आई. आर. का अनुसन्धान भी स्वतंत्र एजेंसी को सौपा जा सकता है ।

6. 2018 की एफ. आई. आर. No.58 का अनुसन्धान दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दी गई थी और उसके बाद अगस्त 2018 में, वर्तमान रिट याचिका ऊपर बताए गए राहतों के लिए दायर की गई थी।

7. इस रिट याचिका पर समय–समय पर सुनवाई की जाती थी और निम्नलिखित घटनाक्रमों पर ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है।

(a) 23.07.2019 को याचिकाकर्ता की दलीलें दर्ज की गईं कि अन्वेषण एजेंसी ने संबंधित होटल से सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं किए थे और प्रत्यर्थी संख्या 7 के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध वह सामग्री भी अन्वेषण एजेंसी द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी।

अदालत में मौजूद अनुसन्धान अधिकारी ने कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया जा सका क्योंकि फुटेज को होटल द्वारा केवल एक महीने के लिए संरक्षित किया गया है और घटना की सूचना तीन महीने से अधिक समय बाद दी गई थी। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 7 से संबंधित एक मोबाइल को जांच अधिकारी ने हिरासत में ले लिया था, जबकि उससे संबंधित दूसरे मोबाइल में कोई सामग्री नहीं थी और इसलिए उसे प्रतिवादी संख्या 7 को वापस कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में यह निर्देश दिया गया था कि जांचकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 7 के दूसरे मोबाइल को हिरासत में लेंगे और दोनों मोबाइल को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजेंगे। यह भी निर्देश दिया गया कि मामले की जांच जल्द से जल्द की जाए।

(ख) 11.09.2019 को यह सूचित किया गया कि उचित अन्वेषण के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। यह कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 7 का दूसरा मोबाइल जप्त किया गया और विशेषज्ञों की राय के लिए मेटाडेटा निकालने का प्रयास किया गया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 7 का तर्क निम्नानुसार रिकॉर्ड किया गया।

" सुश्री ऐश्वर्या भाटी सीनियर अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया था कि इन दोनों फोनों से डेटा की बरामदगी के संबंध में जांच उचित नहीं थी और अभियुक्त कि और से कोई सहयोग नहीं था।

यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि आरोप–पत्र में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियुक्त की ओर से कोड संख्या प्रदान करने या आपूर्ति करने में सहयोग की कमी के कारण मोबाइल फोन को संचालित या खोला नहीं जा सका। यह भी कहा जाना चाहिए कि अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर ने बहुत निष्पक्षतापूर्वक कोड संख्या (No.220192) की आपूर्ति की और कहा कि यह कोड संख्या दोनों मोबाइल फोन पर लागू होती है, जिसकी मदद से उक्त मोबाइल फोन को सामान्यत खोला जा सकता है।

(ग) घटना जो 18.10.2019 को हुई थी को उल्लेखित करते हुए 21 अक्टूबर, 2019 को याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए अपराधिक विविध याचिका क्रमांक 162386/2019 दायर की गई थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन कोटला मुबारक पुर, जिला दक्षिण दिल्ली में प्राथमिकी क्रमांक 314 दर्ज करायी

" मे डिफेंस कोलोनी से अपने घर वापस जा रही थी आई फोन स्टोर के सामने रेड लाइट के अपोसिट से के कार आई और मुझे टक्कर मारी. मुझे चोट लगी और मेने ड्राईवर को रोकने का प्रयास किया लेकिन वो वहा से भाग गया। मुझे चोट लगी थी इसलिए मेने 100 नंबर पर फोन किया तथा एक ऑटो लिया क्युकी में असुरछित महसूस कर रही थी। में अपने घर पहुच गयी पीसीआर आई और मुझे एम्स के ट्रामा सेंटर लेकर गयी। मेने तुरंत एस आई टी को कॉल किया । (संदर्भ एफ. आई. आर. क्रमांक 0058/18

थाना बाराखंभा रोड नई दिल्ली दिनांकित 26.05.2018) एफ़. आई. आर. में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कड़ी आशंका थी कि प्रतिवादी संख्या 7 ने उस पर हमला किया था। यह भी कहा गया कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया जाए।

" यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के जीवन पर छाया पड़ गई है और उसके जीवन को अभियुक्त, जो एक आई. पी. एस. अधिकारी है, होने के नाते याचिकाकर्ता को उसके कार्यों के आगे झुकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। अब से याचिकाकर्ता प्रस्तुत करती है कि अभियुक्त आई. पी. एस. अधिकारी के रडार के तहत उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, अगर पर्याप्त सुरक्षा और इस माननीय न्यायालय द्वारा उपाय प्रदान नहीं किए जाते हैं।

(घ) 24.10.2019 को, आदेश में कहा गया है कि 11.09.2019 को जारी निर्देशों के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 7 के दूसरा मोबाइल साथ ही जाँच अधिकारी के मोबाइल से डेटा को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे और । आदेश में आगे लिखा गयाः

“ विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त के आधिकारिक फोन से डेटा प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन आरोपी के निजी मोबाइल फोन और अनुसंधानकर्ता के फोन से डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि वे फोन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस करना मामले को सीबी आई सी एफ एस एल को रेफेर कर दिया गया

इस स्तर पर सुश्री सोनिया माथुर प्रत्यर्थी क्रमांक 7 की और से विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आईक्लाउड आई. डी. और उससे संबंधित मोबाइल के पासवर्ड को प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा सी.बी.आई. सी.एफ.एस.एल. तक पंहुचा दिया गया है। नतीजतन, अब सी.बी.आई. सी.एफ.एस.एल. द्वारा प्रतिवादी नं. 7 यानी आधिकारिक मोबाइल फोन के साथ–साथ व्यक्तिगत मोबाइल फोन के प्रासंगिक आईक्लाउड डेटा को प्राप्त कर लिया गया है । हालांकि, जांच अधिकारी से संबंधित मोबाइल फोन से कोई डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि कहा गया था कि मोबाइल फोन में आईक्लाउड के रूप मे कोई बेक अप नहीं था क्युकी ये एक आईफ़ोन नहीं था।

इसलिए हम संबंधित जांच अधिकारी से आह्वान करते हैं कि वह कि उक्त पूरा अभ्यास मे जो सामग्री परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी, बिना बताए उक्त सभी विवरण का एक उचित हलफनामा दायर करें।

श्री मनोज वी. जॉर्ज, रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि 17.10.2019 को , याचिकाकर्ता को एक वाहन ने टक्कर मार दी थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ चोटें आईं थीं, जिसका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था, जिसके बाद पुलिस स्टेशन कोटला मुबारकपुर में एक उचित शिकायत भी दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. No.314 दिनांक 18.10.2019 पी. एस. कोटला मुबारकपुर, जिला दक्षिण, नई दिल्ली और मेडिकल कागजात आपराधिक विविध याचिका संख्या 162386/ 2019 के रिकॉर्ड में रखे गए हैं।

विद्वान वकील सुश्री सुहासिनी सेन ने तर्क किया कि आरोपों की प्रकृति और याचिकाकर्ता को लगी चोटों को देखते हुए, उत्तरदाताओं ने अपने दम पर, एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एफ. आई. आर. No.314 की जांच की जा रही है और उचित प्रतिक्रिया सुनवाई की अगली तारीख से पहले दाखिल किया जाएगा।

(ङ) इसके बाद, अपराध शाखा, नई दिल्ली के सूचना अधिकारी द्वारा एफ. आई. आर. दिनांक 26.11.2019 की स्थिति रिपोर्ट दायर की गई। यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 7 के मोबाइल फोन से डेटा प्राप्त करने के बाद, पूरक आरोप पत्र तैयार किया गया था जिसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दाखिल किया जाएगा। एक अन्य स्थिति रिपोर्ट उसी तारीख को सहायक पुलिस आयुक्त, उप–मंडल, एन. सी. ई. कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा दाखिल की गयी थी कि संबंधित स्थान, जहा याचिकाकर्ता को कथित रूप से एक कार से मारा गया था, के सी. सी. टी. वी. फुटेज में दर्शाता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है

" 13. इस प्रकार प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। दिनांकित 17.10.19 लगभग 8.52 बजे के उपलब्ध सी. सी. टी. वी. फुटेज में, एक बच्चे द्वारा संचालित थेला को याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता के बाएं पैर को खुरचते हुए देखा जाता है जब वह घटना के स्थान पर एक टीएसआर/ऑटो किराए पर लेने का प्रयास कर रही थी। शिकायतकर्ता को थेला की ओर देखते हुए और फिर दूर जाते हुए देखा जाता है। उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सीसीटीवी फुटेज से यह पता नहीं चला है कि शिकायतकर्ता को एक कार ने टक्कर मार दी थी जिसे उसने रोकने की कोशिश की थी। इसके विपरीत, वह घटना स्थल से दूर चली । (सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें अभी भी संलग्न हैं)।

14. स्थानीय जाँच की गई और कोई गवाह नहीं मिला, जो शिकायतकर्ता/ याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार चार पहिया (उल्लंघनकारी वाहन) के बारे में शिकायतकर्ता/ याचिकाकर्ता के बयान की पुष्टि कर सके।

15. इस मामले में अब तक की गई जाँच से पता चलता है कि शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई समय सीमा और घटना के स्थान के अनुसार, उसे "थेला" द्वारा रगड़ कि चोट दिया गया था।

16. उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के अनुसार शिकायतकर्ता को गुरुद्वारा चौक, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली के पास लगभग 8.52 बजे एक थेला ने मारा था। उसने अपने ठहरने के स्थान से पीसीआर कॉल किए। इंदिरा निकेतन वर्किंग गर्ल्स होस्टेल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में रात 9 बजे और रात 9 बजे उन्हें जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली ले जाया गया, जहाँ लगभग 9:56 बजे उनकी जाँच की गई। उन्हें लगभग 9.24 बजे पीसीआर कर्मचारियों के साथ जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में प्रवेश करते हुए पाया गया। पुलिस स्टेशन सरोजिनी नगर और उसके बाद पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी और अंत में पुलिस स्टेशन कोटला भेजा गया और अंत में मुबारक पुर, नई दिल्ली भेजा गया। अन्वेषण के विवरण पैरा 12 से 15 मे हैं –

(च) नतीजतन, अगली तारीख यानी 27.11.2019 पर याचिकाकर्ता और उसके वकील को सी. सी. टी. वी. फुटेज देखने की स्वतंत्रता थी और मामले को स्थगित कर दिया गया।

(छ) सीसीटीवी फुटेज देखने की सुविधा का लाभ उठाने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा स्थिति रिपोर्ट दिनांक 03.12.2019 पर निम्न जवाब दाखिल किया गया था।

" 8. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ऑटोरिक्शा जिसे 12 वें मिनट 36 सेकंड (12:36) में ट्राईसाइकिल को घेर लिया, जिसे एक बच्चा उसे नीचे गिराने के लिए चला रहा था और एक कार जो कुछ सेकंड के भीतर बंद दरवाजों के साथ दिखाई देती है, ने गंभीर संदेह पैदा कर दिया याचिकाकर्ता के दिमाग में जो इसे कुछ निहित स्वार्थ द्वारा आयोजित घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में समझता है। याचिकाकर्ता, जो पीड़ित थी और खून बह रहा था, ने यह भी महसूस किया कि पुलिस को यह कहते हुए कोई भी टेलीफोन कॉल कि एक ट्राइसाइकिल ने उसे कार के बारे में उल्लेख किए बिना टक्कर मार दी, जो संदिग्ध पाई गई है, उन्हें कार्रवाई में नहीं लाएगा और उसके दावे को साइकिल से चलने वाले हिट के रूप में खारिज कर दिया जाएगा।

9. याचिकाकर्ता को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी और यह केवल इसी इरादे से था कि उसने कहा था कि उसे टक्कर मारने के लिए पीछे से एक कार आई थी, हालांकि अब यह स्पष्ट है कि यह एक थेला (गाड़ी से लैस तिपहिया साइकिल) थी जिसने उसे पीछे से टक्कर मारी थी क्योंकि कार तिपहिया साइकिल (थेला) से टकराने के 28 सेकंड के बाद ही पहुंचती है।

आयोजित सड़क दुर्घटना में घटनाओं की श्रृंखला जब एक ऑटो रिक्शा उसे घेर लेता है और एक झटके में चकमा देता है और एक बच्चा जंक्शन में सवारी करता है और उसे पीछे से टक्कर मारता है और घटनास्थल पर एक कार/वैन दिखाई देती है जैसे कि गिरने वाले पैदल यात्री की तलाश में याचिकाकर्ता के मन में एक खराब खेल आशंका को हमेशा मजबूत करता है।

(ज) याचिकाकर्ता द्वारा दूसरी स्टेटस रिपोर्ट के लिए भी जवाब दाखिल किया गया था। अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्यर्थी संख्या 7 की सेवा में बने रहने से निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है।

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि और अभिलेख पर परिस्थितियों में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा तर्क दिया गयाः

i) याचिकाकर्ता द्वारा प्राथमिकी के अनुसार दर्ज किए गए अपराध की विवेचना ए. सी. पी. श्वेता सिंह चौहान के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने की है । उचित अन्वेषण के बाद, आरोप पत्र भी दायर किया गया है; अन्वेषण एजेंसी द्वारा त्वरित कदम उठाए गए थे और इस तरह वर्तमान रिट याचिका में आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

ii) याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप कि एक कार ने टक्कर मारी थी उसे और सुझाव कि प्रत्यर्थी संख्या 7 इस तरह की घटना के लिए पूरी तरह से सहायक थे अस्थिर थी। यह एक कार नहीं थी, बल्कि एक तिपहिया साइकिल पर लगा एक ठेल था, जो याचिकाकर्ता के सामने

था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इसे यह दिखाने के लिए कि जैसे कि यह प्रतिवादी संख्या 7 था जो इस घटना के पीछे था।

(iii) अपने स्वयं के प्रदर्शन पर, वह जानती थी कि उसे कर से चोट नहीं लगी थी लेकिन उसने तथ्यों को सच्चाई और सही ढंग से नहीं बताया क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि इस दावे को एक छोटी सी घटना के रूप में खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस तरह की छोटी और हानिरहित घटना का प्रत्यर्थी संख्या 7 के खिलाफ आक्षेप में इस्तेमाल किया ।

9. दूसरी ओर, श्री मनोज जॉर्ज, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया किः

(i) प्रत्यर्थी संख्या 7 पुलिस सेवा से संबंधित था और इस तरह वहाँ निश्चित रूप से आशंका थी कि अपराध का अन्वेषण याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, उचित व निस्पछ नहीं की जाएगी।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 7 की माँ द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी, एक पुलिस अधिकारी द्वारा अनुचित प्रभाव का सूचक है

(iii) अन्वेषण के दोरान करते समय याचिकाकर्ता के साथ कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर ध्यान नहीं दिया गया;

(iv) उत्तरदाता संख्या 7 के दो मोबाइल फोन से पूर्ण डेटा प्राप्त नहीं हुआ जबकि अन्वेषक का मोबाइल फोन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और परिणाम स्वरुप मोबाइल फोन से किसी भी डेटा पुनर्प्राप्ति नहीं हो सकी ; और

(v) याचिकाकर्ता को एक ठेला से टकराने के तुरंत बाद उसने आस–पास एक कार देखी थी और इसलिए आशंका जताई थी कि यह किसी की तरफ से एक प्रयास था।

10. याचिकाकर्ता की एफ. आई. आर. क्रमांक 58/2018 के अनुसार दर्ज अपराध का अन्वेषण ए. सी. पी. श्वेता सिंह चौहान के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इस आशंका को कि प्रतिवादी संख्या 7 से संबंधित मोबाइल फोन को जप्त नहीं किया गया था, इस अदालत द्वारा निपटा गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि उक्त मोबाइल अन्वेषण एजेंसी की हिरासत में होंगे। उन मोबाइलों से डेटा भी बरामद करने की मांग की गई थी और यह कहा जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 7 ने यह सुनिश्चित करने में सहयोग दिया था ताकि डेटा को पुनर्प्राप्त किया जा सके। हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि पूरा डेटा पुनर्प्राप्त नहीं किया गया है। दोनों मोबाइल फोन को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कुछ तस्वीरें प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा ली गई हो सकती हैं, जो डेटा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आईक्लाउड से जो निकाला गया है वह अन्वेषण एजेंसी के पास पूरी तरह से उपलब्ध है। आंकड़ों में, किसी भी मामले में, सबसे अच्छा यह होगा कि विभिन्न चरणों में याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 7 के बीच आदान–प्रदान और बातचीत हुई थी, लेकिन उपयुक्त स्तर पर जिस बात पर

ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 7 ने दुर्भाग्यपूर्ण रात को याचिकाकर्ता का अनुचित लाभ उठाया था। यह तर्क कि जांच अधिकारी का मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हो गया था, याचिकाकर्ता और जांच अधिकारी के बीच किसी भी बातचीत के विवरण के रूप में सामग्री नहीं हो सकता है, यह स्वयं याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन के माध्यम से भी साबित हो सकता है। इस प्रकार, ऐसा कुछ भी ठोस नहीं है जो या तो यह दिखा सके कि अन्वेषण ठीक से नहीं हुई थी निर्देशित किया गया था या किसी विशेष दिशा में देखने में विफल रहा था। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी भी रखी जा रही है, तो उन्हें आज से दो दिनों के भीतर विशेष जांच दल को सौंप दिया जा सकता है। यह विचार करने के लिए विशेष जांच दल पर छोड़ दिया जाता है कि क्या उन हिस्सों को जैसा कि ऊपर बताया गया है पूरक आरोप–पत्र जिसे दाखिल करने पर विचार किया जाना है, में आवश्यकता है।

, 11. जहां तक प्रतिवादी संख्या 7 की मां द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दर्ज किए गए अपराध का संबंध है, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई है और संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर भी कार्रवाई की गई है। संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने प्रक्रियाओं का आह्वान किया गया है याचिकाकर्ता और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

परिवार के सदस्य। इसलिए, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि प्रतिवादी संख्या 7 की मां द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार वर्तमान में लंबित मामले को स्थानांतरित किया जाए और जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपी जाए।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में हम इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर दोनों प्राथमिकी के अनुसार दर्ज अपराध का अन्वेषण किसी केंदीय अन्वेषण एजेंसी से कराये जाने का कोई कारण नहीं देखते हैं हम इस स्तर पर यही कह सकते है कि याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज प्राथमिकी से सम्बंधित अपराध में दर्ज आरोप पत्र सम्बंधित न्यायालय द्वारा विचार में ली जाएगी और उस पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

13. अंत में, हमें यह देखना चाहिए कि इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा केवल यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि वहां याचिकाकर्ता द्वारा दायर एफआईआर के अनुसार दर्ज अपराध का निष्पक्ष अन्वेषण था, विचार किया गया था और हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी या हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देश मामले के गुणों या गुणवत्ता पर विचार में नहीं लिए जायेंगे मामले पर विधि अनुसार उसके गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

14. अब हम उस विकास का उल्लेख कर सकते हैं जो रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हुआ था। एफ. आई. आर. सं. 314 में, साथ ही इसके बाद आवेदन में निश्चित रूप से संकेत दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 7 दिनांक 17.10.2019 को हुई घटना के लिए जिम्मेदार था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को एक कार ने टक्कर मार दी थी और संदेह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 7 पीछे था।

जैसा कि अब पता चला है, उन्हें किसी कार ने नहीं बल्कि एक ठेला ने टक्कर मारी थी, जिसका प्रथम दृष्टया मतलब है कि उनके शपथपत्र वाले बयान में इस न्यायालय के समक्ष जो आरोप लगाए गए थे वे सत्य नहीं थे।

15. शपथ पर गलत बयान देना दंडनीय अपराध है। आई. पी. सी. की धारा 181 के तहत लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करने के इरादे से गलत जानकारी देना आई. पी. सी. की धारा 182 के तहत दंडनीय है। इन अपराध का संहिता की धारा 195 (1) (ए) (आई) के आधार पर केवल लिखित में उचित शिकायत पर ही किसी भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। धारा 195 (1) (ख) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में पुष्पादेवी एम. जटिया बनाम एम. एल. वधावन आदि में प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा संतुष्टि दर्ज करने के बाद अभियोजन शुरू करने का निर्देश दिया गया था

16. यह इस न्यायालय द्वारा चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा में भी निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है अवमानना का दोषी करार दिया जा सकता है। उक्त मामले में पति जिसने पत्नी द्वारा वैवाहिक कर्वाहियो

को अंतरित किये जाने का विरोध करने के लिए कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग किया, उसे न्यायालय कि अवमानना का दोषी माना गया और दो सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई गई। यह निम्नानुसार देखा गयाः

" 1.न्याय प्रशासन की धारा को अप्रदूषित रहना होगा ताकि अदालत के वातावरण की शुद्धता राज्य के सभी अंग को जीवन शक्ति दे सक । इसलिए न्यायिक क्षेत्र के प्रदूषक की न्यायालय के वातावरण की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए इस कारण अच्छी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है; ताकि यह निष्पक्ष रूप से और सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के लिए न्याय का प्रशासन करने में सक्षम हो सके।

2. जो कोई भी धोखाधड़ी का सहारा लेता है, न्यायिक कार्यवाही के मार्ग को भटकाता है; या यदि कुछ भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया जाता है, तो वह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। ऐसे व्यक्तियों से उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है, न केवल उन्हें किए गए गलत काम के लिए दंडित करने के लिए, बल्कि दूसरों को भी इसी तरह के कृत्यों जो न्याय प्रशासन की प्रणाली में लोगों के विश्वास को हिलाने वाले कार्य में लिप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक है।

14. इस प्रकार कानूनी स्थिति यह है कि यदि प्रकाशन न्यायालय को धोखा देने या धोखाधड़ी करने के इरादे से किया गया है, तो यह अवमानना होगी, क्योंकि यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा। यह, किसी भी मामले में, इसमें हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। यदि कोई मनगढ़ंत दस्तावेज़ दाखिल किया जाता है स्पष्ट रूप से अदालत को धोखा देने के लिए था; यह निश्चित रूप से होगा। हस्तगत मामले में मनगढ़ंत दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से अदालत को धोखा देने के लिए था इसलिए अनिल कुमार अवमानना के दोषी हैं।

केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य में उक्त अवधारित किया गया

" 39. यदि केन्सिंगटन इनकम टैक्स कॉमर्स में हाइलाइट मुख्य प्राथमिक उद्देश्य ' ध्यान में रखा जाता है, एक आवेदक जो स्पष्ट तथ्यों और "बिना ईमानदारी" व "गंदे हाथों" के साथ न्यायालय में आता है वह रिट नहीं पा सकता है। भौतिक तथ्यों को दबाना या छिपाना कोई वकालत नहीं है। यह एक चालबाजी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलत निरूपण, है। जिसका न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में कोई स्थान नहीं है। यदि आवेदक सभी तात्विक तथ्यों का निष्पक्ष और सही मायने में खुलासा नहीं करता है बल्कि उन्हें विकृत तरीके से बताते हैं और न्यायालय को गुमराह करते हैं, न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्ति है स्वयं की रक्षा करें और नियम का निर्वहन करने के लिए इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकें और गुण–दोष के आधार पर मामले की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करें। यदि न्यायालय उस आधार पर याचिका को अस्वीकार नहीं करती है, तो अदालत अपने कर्तव्य में विफल होगी। वास्तव में, ऐसे आवेदक पर न्यायालय की प्रक्रिया दुरूपयोग करने के लिए न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में झूठा हलफनामा दायर करना अवमानना में कार्रवाई शुरू करने का आधार था और संबंधित व्यक्तियों को दंडित किया गया।

17. इन परिस्थितियों में इस न्यायालय की शक्ति के स्वतः प्रयोग में याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है "क्यों उसके खिलाफ अवमानना शुरू नहीं की जाए और संहिता की धारा 195 (1) (ए) (आई) के तहत उचित निर्देश क्यों नहीं पारित किया जाए। रजिस्ट्री को मामले को स्वतः संज्ञान कार्यवाही के रूप में दर्ज करने और याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है, उसे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में 14.01.2020 को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है

18. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

रिट याचिका का निपटारा किया गया।

4 (1987) 3 एससीसी 367 [2019] 15 एस. सी. आर.